प्रेस विज्ञप्ति

बिजनौर, दि0 14 अप्रैल, 2018, सू0वि0

भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयन्ती के अवसर पर जिलाधिकारी श्री अटल कुमार रॉय ने विकास भवन में स्थिति डॉ० बी०आर० अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके तदोपरान्त विकास भवन के सभा कक्ष में जिला अधिकारी श्री अटल कुमार रॉय की अध्यक्षता में ग्रम स्वराज अभियान का शुभारम्भ किया गया। जिलाधिकारी ने डॉ० बी०आर० अम्बेडकर के 127वें जन्म दिन पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाऐ दी।

उन्होने बाबा साहब के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश को एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास से निर्माण कर समर्पित किया। आज बाबा साहब के बनाये गये संविधान के आधार पर भारत देश में अधिकार एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान प्रदान करते हुए सरकारें कार्य कर रही है। संविधान ने हमें नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए। संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार देश में आजादी के बाद बनाये कानून प्रभावी है।

उन्होंने कहा कि बाबा साहब का कहना था कि इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र में संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थो की स्वेच्छा से कभी नहीं छोड़ा गया है जब तक कि पर्याप्त बल लगाकर मजबूर न किया गया हो। यदि हम एक संयुक्त अंगीकृत आधुनिक भारत चाहते है तो सभी धर्मो के धर्म ग्रन्थों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता हो वो आपके किसी काम की नहीं। उन्होंने कहा कि डा0 भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि कानून व्यवस्था राजनैतिक शरीर की दवा है और जब राजनैतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। मनुष्य नश्वर है उसी तरह विचार भी नश्वर है।

एक विचार को प्रचार–प्रसार की जरूरत है जिस प्रकार वृक्ष में पानी की आवश्यकता होती है यदि हम वृक्ष की तीनों आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तो वृक्ष मुरझा जायेंगे और मर जायेंगे। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना काफी नहीं है जिसकी आवश्यकता है वह है राजनैतिक व सामाजिक अधिकारों के महत्त्व जरूरत एवं न्याय में पूर्णतः गहराई दोष। उनका कहना था कि राजनैतिक अत्याचार, सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधार जो समाज को खारिज कर देता है वह सरकार को खारिज कर देने वाले राजनैतिक से ज्यादा साहसी है। उन्होंने कहा कि डा0 भीमराव अम्बेडर का मूल सिद्धांत था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा बुलन्द किया। डा0 अम्बेडकर का अनेक विभूतियों से नवाजा गया, डा0 अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता कहे गये है उन्हें संविधान का निर्माता, शोषित मजदूर, महिलाओं का मसीहा बताया गया।

वह आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री तो बने लेकिन उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से कभी पटरी न बैठ पायी उनमें सभी प्रकार के गुण विद्यमान थे। वह विश्व स्तर के विधिवत अर्थशास्त्री, राजनैतिक, समाजशास्त्री, आन्दोलनकारी थे। उन्होंने अमेरिका के कोलम्बिया विश्व विद्यालय के 100 टॉप में नाम है। वर्तमान समय में भारत की पूरी राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द घूमती है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें डा0 भीमराब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर नव निर्माण भारत का निर्माण करना है तथा हमें अपने पुरानी रूढ़ीवादी परम्पराओं व जातिवाद को तोड़ते हुए हमें समाज के सभी वर्गो को एक साथ लेकर चलना होगा तभी भारत वर्ष की व शोषित वर्ग की उन्नति संभव हो सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रम स्वराज अभियान 14 अप्रैल से 5 मई तक तथा 18 अप्रैल,2018 स्वच्छ भारत पर्व (ग्रामीण स्वच्छता अभियान), 20अप्रैल,2018 उज्जवला पंचायत (नये कनेक्शन एवं सुरक्षा प्रदान करना), 24अप्रैल,2018 पंचायती राज दिवस (राष्ट्रीय और ग्राम सभा स्तर), 28अप्रैल,2018 ग्राम शक्ति अभियान (ब्लॉक/जिला लाभार्थी सम्मेलन),

30अप्रैल,2018 आयुष्मान भारत अभियान, 02मई,2018 किसान कल्याण कार्यशाला (ब्लॉक स्तर), 05 मई 2018 आजीविका एवं कौशल विकास मैला सम्पन्न कराये जायेगे। उन्होने बताया कि 121 ग्राम पंचायतो का चयन किया गया जिनमें से 11 ब्लॉको में अनुसूचित जाति एवं जनजाति गावों, मौहल्लो एवं बाडो में जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ का लाभ जिन पात्र लाभार्थीयो को नही मिल पाया है उनको सरकारी योजनाओ का लाभ प्राथिमकता के आधार पर दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीडन के मामलो में कुल 10 व्यक्तियो को चेक प्रदान किये जिसमें श्री राकेश पुत्र बाबुराम को 75 हजार रूपये, श्रीमती सरोज पत्नी ओमप्रकाश को 8 लाख 25 हजार रूपये, श्री धर्मपाल पुत्र हरि सिंह को 25 हजार, कु० निकि पुत्री जगदीश चन्द को 1लाख 50 हजार, श्री ज्ञान सिंह पुत्र लाल सिंह, वर्षा पत्नी नीटू, अरूण पुत्र मान सिंह को 75–75 हजार रूपये, खुशी पुत्री कर्मवीर सिंह को 1 लाख 50 हजार रूपयें, श्री हिरेन्द्र प्रकाश पुत्र दरवारी को 75 हजार रूपये, श्री राजदीप प्रभाकर को 75 हजार रूपये, मिनाक्षी पत्नी राजदीप को 75 हजार रूपये, मोहित पुत्र हरपाल सिंह को 3 लाख रूपये, फूलवती पत्नी हरपाल सिंह को 3 लाख रूपये, अरूणा पत्नी दिनेश को 3 लाख रूपये, जयचन्द पुत्र फकीर सिंह को 4 लाख 12 हजार रूपये के चेक प्रदान किये।

मुख्य विकास अधिकारी डा० इन्द्रमणी त्रिपाठी ने डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान हमें एक सुत्र में पिरोकर रखता है जिस प्रकार से एक एक फूल को इक्ठा कर करके माला बनाई जाती है उसी प्रकार संविधान ने हमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोकर रखा है। उन्होने कहा कि हमें उनके जीवन से शिक्षा लेते हुए समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेनी होगी। उन्होंने कहा कि जिन विषम परिस्थितयों में डा0 भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की उस समय भारत वर्ष के अन्दर छुआ छूत की समस्या से समाज जकड़ा हुआ था उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस बीमारी से वह भारतवर्ष को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे और उन्होंने भारतीय संविधान की रचना कर सभी को समान अधिकार प्रदान किए तथा उन्होने कहा कि हमें डा0 भीमराव अम्बेडकर के बताये मार्ग एवं आर्दश पर चल कर ही अपने देश एवं राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री विनोद कुमार गौड़ ने अपने संबोधन में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल व माता भीमाबाई धर्मप्रेमी दंपति थे। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था जो उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। इस कारण उन्हें कदम–कदम पर असमानता और अपमान सहना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जिस समय उनकी शिक्षा प्रारम्भ हुई उस समय इतनी भयंकर असमानता थी कि जिस विद्यालय में वे पढ़ने जाते थे वहां पर अस्पृश्य बच्चों को अलग बैठाया जाता था तथा उन पर विद्यालयों के अध्यापक भी कतई ध्यान नहीं देते थे, न ही कोई सहायता दी जाती थी। उनको कक्षा के के अंदर

बैठने तक की अनुमति नहीं थी साथ ही प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालता था क्योंकि मान्यता थी कि ऐसा करने से पानी और पात्र अपवित्र हो जाते थे।

अपर जिलाधिकारी वि०एवंरा० ने अपने सम्बोधन में डा० भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान निर्माता बताते हुए कहा कि डा० अम्बेडकर जानते थे कि साधारण औषधि से भारतीय समाज की चिकित्सा नही हो सकती, इसके लिए शल्य चिकित्सा आवश्यक है। वे दो उपायो पर बल देते थे, पहला उपाय वंचित समाज स्वयं संघर्ष की क्षमताओं को अपने भीतर जाग्रत करे। उन्होने बताया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने बच्चों को डा0 भीमराव अम्बेडकर के बारे में शिक्षा दें तथा उनके बताये रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विघालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सफाई कर्मि व जिला स्तरीय अधिकारी एवं विकास भवन के कर्मचारी मौजूद रहे।